रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2013/ ज्येष्ठ 16, 1935
No. 276] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2013/JYAISTHA 16, 1935

रक्षोपाय महानिदेशालय

(सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

रक्षोपाय जांच की शुरूआत संबंधी सूचना

[सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत]

नई दिल्ली, 6 जून, 2013

विषय : भारत में मिथाइल एसीटोएसीटेट के आयातों के बारे में रक्षोपाय जांच की शुरूआत ।

सा.का.नि. 361(अ).—भारत में मिथाइल एसीटोएसीटेट के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए मै0 लक्ष्मी आर्गेनिक इंडस्ट्रीज लि0, मुंबई द्वारा अपने परामर्शदाता मै0 ईर्एलपी एडवोकेट्स एंड सॉलीसीटर्स के जरिए सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है ताकि भारत में मिथाइल एसीटोएसीटेट के संवर्धित आयातों द्वारा हुई गंभीर क्षति/गंभीर क्षति के खतरे से मिथाइल एसीटोएसीटेट के घरेलू उत्पादकों की रक्षा की जा सके ।

2. **घरेलू उद्योग**: इस मामले में मै0 लक्ष्मी आर्गेनिक इंडस्ट्रीज लि0, मुंबई एकमात्र आवेदक है जो घरेलू उद्योग है । मै0 लक्ष्मी आर्गेनिक इंडस्ट्रीज लि0 ने दावा किया है कि उनका उत्पादन भारत में मिथाइल एसीटोएसीटेट के कुल उत्पादन का 100 प्रतिशत बनता है और इस प्रकार उनके पास वर्तमान याचिका दायर करने का आधार है ।

3.शामिल उत्पाद: वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद मिथाइल एसीटोएसीटेट है (जिसे एम ए ए /एम ए ए ई/ए ए एम ई के नाम से भी जाना जाता है) जो डिकेटिन आधारित ईस्टर या एसीटो-एसीटेट है । ईस्टर ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जिन्हें एल्कोहल या फेनोल जैसे

हाईड्रोक्सिल एसिड के साथ आक्सोएसिड की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस उत्पाद के संबंध में रासायनिक सूत्र $C_5H_8O_3$ है । इस उत्पाद को मिथइल-3-कैटोबुटाएरेट, मिथाइल एसीटाइलएसीटेट, मिथाइल-3-ऑक्सोबूटानोएट, मिथाइल एसीटोन कार्बोक्सीलेट, मिथाइल-3-ऑक्सोबूटायरेट, एसीटोएसेटिक मिथाईल ईस्टर, एम ए ए ई नामों से भी जाना जाता है ।

मिथाइल एसीटोएसीटेट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के सीमाशुल्क उपशीर्ष संख्या 29183040 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

4.जांच अवधि (पी ओ आई): वर्तमान आवेदन के प्रयोजनार्थ आवेदक ने तीन वर्ष की अवधि के आंकड़ों पर विचार किया है । आवेदक ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के सभी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं । चुनी गई जांच अवधि वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक की है जो बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और रक्षोपाय शुल्क लगाने की जरूरत को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त लंबी है ।

5.सूचना का स्रोत : आवेदक द्वारा यथा प्रदत्त विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात आंकड़े आई बी आई एस (सौदेवार) से लिए गए हैं क्योंकि उन्होंने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तु का आयात विभिन्न अन्य वर्गीकरणों के अंतर्गत भी किया जा रहा है । आवेदक ने आवेदन के अनुबंध 3 में नमूना सौदा प्रविष्टियों के साथ-साथ ऐसे कई अन्य अध्याय शीर्ष/आईटीसी वर्गीकरण प्रदान किए हैं, जिनके अंतर्गत संबद्ध वस्तु का भारत में आयात किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में सौदेवार आंकड़ों पर विचार करना होगा जो केवल आई बी आई एस आंकड़ों में उपलब्ध हैं । अतः आई बी आई एस के आयात आंकड़े लिए गए हैं । इसके अलावा, आवेदक की इकाई के मौके पर सत्यापन के जरिए रक्षोपाय संबंधी अन्य आर्थिक मापदंडों से जुड़े आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है और जांच अवधि के लिए इस प्रकार से सत्यापित आंकड़ों पर क्षति विश्लेषण हेतु विचार किया गया है ।

6.संवर्धित आयात (समग्र रूप में और तुलनात्मक रूप में): मिथाइल एसीटोएसीटेट का भारत में आयात कई देशों और मुख्यतः चीन, अमरीका और स्विट्जरलैंड से किया जाता है । मिथाइल एसीटोएसीटेट के आयातों में समग्र रूप में और कुल उत्पादन की तुलना में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। वित्त वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान मिथाइल एसीटोएसीटेट का आयात और उत्पादन निम्नानुसार रहा है :

वित्त वर्ष	कुल आयात (मी.ट.)	अखिल भारतीय उत्पादन (मी.ट.)	कुल मांग (मी.ट.)	उत्पादन के % के रूप में आयात
2010-11	3985	1980	5717	201
2011-12	3584	2604	6263	138
2012-13	5084	2045	7101	249

वर्ष 2010-11 में 3985 मी.ट. से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 5084 मी.ट. के हो गए हैं जिनमें 28% की वृद्धि प्रदर्शित होती है । इसके अलावा, घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप आयात वर्ष 2011-12 में 138 % से बढ़कर 2012-13 में 249% हो गए हैं ।

7. क्षति : आवेदक ने दावा किया है कि मिथाइल एसीटोएसीटेट के संवर्धित आयातों के कारण मिथाइल एसीटोएसीटेट के घरेलू उत्पादक को गंभीर क्षति हुई है और उसका खतरा उत्पन्न हो रहा है जैसा कि निम्नलिखित संकेतकों से पता चलता है ।

क) उत्पादन : यद्यपि, वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तथापि,वर्ष 2010-12 में यह 2604 मी.ट. से घटकर 2012-13 में 2045 मी.ट. हो गया है ।

वर्ष	मात्रा(मी.ट.)
2010-11	1980
2011-12	2604
2012-13	2045

ख) क्षमता उपयोग : हाल की अवधि में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भारी गिरावट आई है जो वर्ष 2011-12 में 53 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 41 प्रतिशत हो गई है ।

वर्ष	स्थापित क्षमता (मी.ट.)	स्थापित क्षमता (%)
2010-11	4950	40
2011-12	4950	53
2012-13	4950	41

ग) घरेलू मांग में घरेलू उत्पादकों का हिस्सा : घरेलू उत्पादक के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है । वर्ष 2011-12 में आवेदक का बाजार हिस्सा 43 प्रतिशत था जो 2012-13 के दौरान घटकर 28 प्रतिशत हो गया । आयात का बाजार हिस्सा वर्ष 2011-12 में 57 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 72 प्रतिशत हो गया है ।

वित्त वर्ष	कुल आयात (मी.ट)	घ.उ. की बिक्री (मी.ट.)	कुल मांग (मी.ट.)	बाजार हिस्सा (%)		मालसूची (मी.ट.)
				घ.उ.	आयात	
2010-11	3985	1732	5717	30	70	196
2011-12	3584	2679	6263	43	57	84
2012- 13	5084	2017	7101	28	72	79

घ) बिक्री स्तर में परिवर्तन : यद्यपि, घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2010-11 की तुलना में 2011-12 में वृद्धि हुई है । तथापि, यह 2011-12 में 2679 मी.ट. से घटकर 2012-13 में 2017 मी.ट. हो गई । बिक्री में यह गिरावट इस तथ्य के बावजूद आई है कि मांग वर्ष 2011-12 में 6263 मी.ट. से बढ़कर 2012-13 में 7101 मी.ट. हो गई थी । इससे इस बात का स्पष्ट पता चलता है कि संवर्धित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को बिक्री, बाजार हिस्से का नुकसान हुआ है ।

ड.) लाभ/हानि : घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में इतनी तेजी से गिरावट आई है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें घरेलू उद्योग को अब वित्तीय घाटा हो रहा है । यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है :

वित्त वर्ष	लाभप्रदता (रूपए/मी.ट.)(सूचीबद्ध)
2010-11	-100
2011-12	-187
2012-13(वार्षिक)	-156

8. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में चार वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय तुरंत लागू करने का अनुरोध किया है । विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन में तेजी से आई गिरावट के मद्देनजर घरेलू उद्योग ने अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाने का भी अनुरोध किया है ।

9. आवेदन की जांच की गई है और प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि मिथाइल एसीटोएसीटेट के संवर्धित आयातों के कारण मिथाइल एसीटोएसीटेट के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है

और उसका खतरा है और ऐसे संवर्धिक आयातों के कारण घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति हुई है और तद्नुसार इस सूचना के जरिए जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया है ।

10. सभी हितबद्ध पक्षकार इस सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत करा सकते हैं:

महानिदेशक (रक्षोपाय)
भाई वीर सिंह साहित्य सदन, दूसरा तल,
भाई वीर सिंह मार्ग,
गोल मार्किट,नई दिल्ली-110001 भारत
टेलीफैक्स : 011-23741542/23741537
ई-मेल : dgsafeguards@nic.in

11. सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अलग से भी लिखा जा रहा है ।

12. इस जांच के लिए कोई अन्य पक्षकार, जो यह चाहता है कि उस पर हितबद्ध पक्षकार के रूप में विचार किया जाए, वह अपना अनुरोध कर सकता है जिसे इस सूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर उपर्युक्त पते पर महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास पहुंच जाना चाहिए ।

13. सीमाशुल्क (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार इस सूचना की तारीख से 30 दिन बीत जाने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।

[फा. सं. डी-22011/08/2013]

जी. एस. सरना, महानिदेशक

DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

NOTICE OF INITIATION OF A SAFEGUARD INVESTIGATION

[Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997]

New Delhi, the 6th June, 2013

Sub: Initiation of safeguard investigation concerning imports of Methyl Acetoacetate into India.

G.S.R. 361(E).—An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by M/s. Laxmi Organic Industries Limited, Mumbai through their consultant M/S ELP Advocates & Solicitors for imposition of Safeguard Duty on imports of Methyl Acetoacetate into India to protect the domestic producers of Methyl Acetoacetate against serious injury/threat of serious injury caused by the increased imports of Methyl Acetoacetate into India.

2. **Domestic Industry**: M/s Laxmi Organic Industries Ltd, Mumbai are the only applicant constituting domestic industry in this case. M/S Laxmi Organic Industries Ltd, claimed that their production account for 100% of the total production of Methyl Acetoacetate in the country and thus they have the standing to file the present petition.

3. **Product Involved**: The product under consideration in the present case is Methyl Acetoacetate (also known as MAA/MAAE/AAME) which is a diketene based Ester or aceto-acetate. Esters are chemical compounds derived by reacting an oxoacid with a hydroxyl compound such as an alcohol or phenol. The chemical Formula in respect of this product is $C_5H_8O_3$. This product is also known by the names of Methyl-3-ketobutyrate, Methyl acetylacetate, Methyl-3-oxobutanoate, Methyl acetone carboxylate, Methyl-3-oxobutyrate, Acetoacetic methyl ester, MAAE.

Methyl Acetoacetate is classified under Customs sub-heading nos. 29183040 of Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

4. **Period of Investigation (POI):** The applicant for the purpose of the present application has considered the data for three years period. The applicant has submitted all the data from 2010-11 to 2012-13. The period for investigation selected is 2010-11 to 2012-13 which is long enough in order to take into consideration the market conditions and to ascertain the need of imposition of Safeguard Duty.

5. **Source of information:** The import data for the product under consideration has been taken from IBIS (transaction wise) as provided by the applicant as they have claimed that the subject goods are being imported under various other classifications as well. The applicant under Annexure 3 to the application have provided various other chapter headings/ITC classifications under which the subject goods are being imported into India along with sample transaction entries. In such a situation, transaction wise data had to be considered which is available only in the IBIS data. Hence IBIS import data has been taken. Further, the data pertaining to other safeguard economic parameters has been verified to the extent necessary, through onsite verification of the unit of the applicant and such verified data for the POI has been taken into consideration for injury analysis.

6. **Increased Imports (Absolute & in relative terms)**: Methyl Acetoacetate is imported into India from a number of countries, and primarily from China, USA and Switzerland. The imports of Methyl Acetoacetate have shown an increasing trend in absolute terms as well as compared to the total production. The imports and production of Methyl Acetoacetate during financial year 2010-11 to 2012-13 remained as under:

Financial Year	Total Imports (MT)	All India Production (MT)	Total Demand(MT)	Import as a % of production
2010-11	3985	1980	5717	201
2011-12	3584	2604	6263	138
2012-13	5084	2045	7101	249

The Imports have increased from 3985MT in 2010-11 to 5084MT in 2012-13 which shows an increase of 28%. Further the import as a percentage of domestic production have increased to 249% in 2012-13 from 138% in 2011-12.

7. **Injury**: The applicant have claimed that the increased imports of Methyl Acetoacetate have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producer of Methyl Acetoacetate as indicated by the following factors:

a) *Production*: Though the production of the domestic industry increased in 2011-12 as compared to the year 2010-11, it declined from 2604 MT in 2011-12 to 2045 MT in 2012-13.

YEAR	QTY(MT)
2010-11	1980
2011-12	2604
2012-13	2045

b) *Capacity Utilization*: Capacity utilization of the domestic industry has declined significantly in the most recent period, from 53% in 2011-12 to 41% in 2012-13.

YEAR	Installed Capacity (MT)	Capacity utilized(%)
2010-11	4950	40
2011-12	4950	53
2012-13	4950	41

c) *Share of domestic producers in domestic demand*: Market share of domestic producer has fallen significantly. Applicant had a market share of 43% in 2011-12 which fell to 28% during 2012-13. The market share of import increased from 57% in 2011-12 to 72% in 2012-13.

Financial Year	**Total Import(MT)**	**Sales of DI (MT)**	**Total Demand (MT)**	**Market Share(%)**		**Inventories (MT)**
				DI	Import	
2010-11	3985	1732	5717	30	70	196
2011-12	3584	2679	6263	43	57	84
2012- 13	5084	2017	7101	28	72	79

d) *Changes in the level of Sales* :- Though the sales of the domestic industry increased in 2011-12 as compared to the year 2010-11, it declined from 2679 MT in 2011-12 to 2017 MT in 2012-13. This decline in sales is despite the fact that the demand increased from 6263 MT in 2011-12 to 7101 MT in 2012-13. This clearly shows that the domestic industry suffered loss in sales, market share, caused by increased imports.

e) *Profit/loss* – the profitability of the domestic industry has steeply deteriorated to such a situation that the domestic industry is now suffering financial losses. This is evident from the table below:-

Financial Year	Profitability (Rs. /MT) (Indexed)
2010-11	-100
2011-12	-187
2012-13(annualized)	-156

8. The domestic industry has requested for immediate imposition of safeguard measures for a period of four years in their application. The domestic industry has also requested for imposition of provisional safeguard duty in view of steep deterioration in performance of the domestic industry as a result of increased imports of product under consideration.

9. The application has been examined and it has been found that prima facie increased imports of Methyl Acetoacetate have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of Methyl Acetoacetate and such increase in imports has caused irreparable damage to the domestic industry and accordingly, it has been decided to initiate an investigation through this notice.

10. All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice to:

The Director General (Safeguards)
Bhai Vir Singh Sahitya Sadan: 2nd Floor,
Bhai Vir Singh Marg,
Gole Market, New Delhi-110 001, INDIA.
Telefax: 011-23741542/ 23741537
E-mail: dgsafeguards@nic.in

11. All known interested parties are also being addressed separately.

12. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General (Safeguards) on the aforementioned address within 15 days from the date of this notice.

13. In terms of Rule 6(7) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by the other interested parties after the expiry of 30 days from the date of this notice.

[F. No. D-22011/08/2013]

G. S. SARNA, Director General

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.